कुसुम सिदार के विरुद्ध लगे सारे आरोपों को निरस्त करने हेतु न्यायालय ने जारी किया आदेश

जिले का पहला मामला : एक अधिवक्ता ने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए पुलिस द्वारा की गई गलत कार्यवाई को लाया सामने

न्याय साक्षी | रायगढ़

कोतरा रोड़ रामबाग के पीछे रहने वाली जानकी सिदार की बिटिया कुसुम सिदार के उपर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़, पुलिस के द्वारा धारा 294, 506, 323, 324, 34 लगाकर चालान प्रस्तुत किया था। भारतीय दण्ड संहिता की उक्त समस्त धाराओं को अपास्त करते हुए, पीड़िता के लिए एक ऐसा आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के द्वारा जारी किया गया जिससे न्याय सम्बंधी आस, आज समस्त पीड़ितों में जगी है। उक्त प्रकरण की पैरवी पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने की और छ.ग. शासन को दीपक शर्मा ने रिपेजेंट किया था।

विदित हो कि, सिटी कोतवाली रायगढ़ में कुसुम सिदार तथा उसके परिवार की सुने बगैर, जॉच किए बगैर,, उनके उपर धारा 294, 506, 323, 324, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध करके, उसे और उसके नाबालिग भाई को आरोपी बनाया था। लेकिन कुसुम सिदार ने जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक पुनरीक्षण दायर करते हुए अपने उपर लगी धाराओं को गलत बताते हुए जबरन उसे फंसाने के अलावा, अन्य सबूत पेश किये, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव के तर्कों को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पीठासीन गुलापन यादव रायगढ़ द्वारा जारी आरोपों को निरस्त किए जाने सम्बंधी आदेश जारी किया। जिले में यह पहला मामला है जब एक अधिवक्ता ने अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए वर्ष 2018 से लगातार साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस द्वारा की गई गलत कार्रवाई को सामने लाते हुए न्याय दिलवाया और समस्त धाराओं को विलोपित करवाने में भी बड़ी भूमिका निभाई।

विदित हो कि, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में पेश की गई याचिका में कई साक्ष्यों को तर्क सहित पेश किया गया और स्पष्ट किया गया कि कैसे कुसुम सिदार को 294, 506, 323, 324, 34 के तहत अपराधी बनाया गया था और किसी भी दृष्टि से उनके उपर ये धाराएं नहीं बनती हैं, अतः विचारण किए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने पूरी सुनवाई के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव द्वारा दी गई याचिका के पक्ष में यह फैसला सुनाया कि कुसुम सिदार के उपर भा.दं.सं. की धाराएं क्रमशः 294, 506, 323, 324, 34 न्यायोचित नहीं हैं, और तत्सम्बंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है।

मामला पंजीबद्ध कर रखा न्याय से वंचित

इस संबंध में अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने बताया कि 26 जून 2018 में घटी इस घटना को लेकर उनकी क्लाईंट कुसुम सिदार मानसिक परेशानी से जूझ रही थी, उनका कहना था कि कुसुम एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसे करोना-काल में करोना-योद्धा के रुप में भी पुरस्कृत किया गया है। घटना के दिन उसने केवल अपने नाबालिग भाई का बचाव किया था,, तब, जब झूठी शिकायत करने वाले उसके भाई को मार रहे थे। लेकिन पुलिस ने कुसुम के भाई सहित उसके विरुद्ध कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके उन्हें न्याय से वंचित रखा।

बीते 29 जून 2018 की है घटना

विदित हो कि, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पीठासीन गुलापन यादव रायगढ़ के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 558/2019 छ.ग.राज्य वि0 कु0 कुसुम सिदार में दिनॉक 25/11/2021 को पारित आरोप-पत्र से क्षुब्ध होकर एक पुनरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के समक्ष दाखिल किया गया था। यह घटना बीते 29 जून 2018 की है।

माननीय न्यायालय ने माना कि

- बिना सम्पूर्ण मामले के तथ्यों को जाने,, एवं बिना आवेदिका की अपराध में संलिप्तता को जाने,, केवल पुलिस के अभिलेख (चालान) के आधार पर चार्ज लगा कर विचारण का आदेश जारी किया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।
- हाथ मुक्के से मारपीट करने, लोहे के (छड़) राड एवं आरीपत्ती से मारपीट कर स्वेच्छया चोट पहुँचाने का आरोप अभिलेख से बाहर जाकर लगाया गया है।
- दांत से काटने, लड़ाई झगड़ा करने और मारपीट करने स्वेच्छया चोट पहुँचाने को आरोप भी अभिलेख से बाहर जाकर लगाया गया है।
- अश्लील गाली-गलौज करने का आरोप भी अभिलेख से बाहर जाकर लगाया गया है।
- आपराधिक अभित्रास और घोर चोट पहुँचाने की धमकी देने का आरोप, स्वेच्छया चोट स्वेच्छया चोट पहुचाने का आरोप, खतरनाक आयुध व सामान का उपयोग करने का आरोप भी अभिलेख से बाहर जाकर लगाया गया है।
- यह भी माना कि धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप का कोई साक्ष्य नहीं है।

क्या थीं घटना?

जानकी सिदार और उनकी पुत्री ने बताया कि, दिनॉक 29/06/2018 को आवेदिका के नाबालिग भाई सत्यजीत सिदार को प्रार्थी इंद्रजीत नेष्टो, यशवंत उर्फ छोटू नेष्टो, अशोक नेष्टो, एवं आर्यन चौबे के द्वारा घर में घुसकर मारा गया और घर का दरवाजा तोड़ दिया गया था, जिसपर बीच-बचाव कुसुम के द्वारा किया गया था। तत्सम्बंध में कुसुम के भाई नाबालिग सत्यजीत सिदार मय वली माता जानकी सिदार के द्वारा एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली में प्रस्तुत किया गया था। आवेदिका एवं उसके नाबालिग भाई सत्यजीत सिदार के विरुद्ध तत्सम्बंधित प्रकरण के प्रार्थी इन्द्रजीत के द्वारा दिनॉक 29/06/2018 को ही, एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण को,, अग्रिम कार्यवाही हेतु हेड कांस्टेबल क्रमांक 269 परमेश्वर गुप्ता को, रो.सा. 71 के तहत् जॉच हेतु प्रदान किया गया था। नाबालिग सत्यजीत सिदार एवं आवेदिका की माता जानकी सिदार पर पुलिस द्वारा कम्प्रोमाईज़ा किए जाने का दबाव बनाया गया,, जो कि असफल हुआ।

धारा लगाने के लिए मांगी गई थीं रिश्वत?

जानकी सिदार ने बताया कि, घर में घुसकर मार-पीट करने, दरवाजा तोड़ने के सम्बंध में धारा लगाने के लिए, हेड कांस्टेबल क्रमांक 269 परमेश्वर गुप्ता द्वारा आवेदिका की माता से 20000/ रु. अक्षरांक बीस हजार रुपये, रिश्वत् की मांग की गई थीं। नहीं दिए जाने पर, तत्सम्बंध में आवश्यक धारा को विलोपित किया जाकर और घटना में शामिल एवं एफ.आई.आर. में लेखबद्ध यशवंत उर्फ छोटू नेष्टो एवं आर्यन चौबे को छोड़कर,, दिनॉक 29/07/2018 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई। रिश्वत् की मांग पूरी नहीं होने और शिकायत किए जाने के भय से, बाद में,, दिनॉक 01/08/2018 को थाना कोतवाली रायगढ़ में आवेदिका एवं उसके नाबालिग भाई सत्यजीत सिदार के विरुद्ध अन्यथा एक एफ.आई.आर. क्रमांक 0971/2018 दर्ज की गई। उक्त दोनों एफ.आई.आर. में थाना प्रभारी के हस्ताक्षर के स्थान पर हेड कांस्टेबल क्रमांक 269 परमेश्वर गुप्ता का नाम दर्शित है। उक्त एफ.आई.आर. क्रमांक 0971/2018 के सापेक्ष में एक आपराधिक प्रकरण क्रमांक 558/2019 , संस्थित किया गया।

चलते-चलते!- अनुचित कार्यवाही एवं रिश्वत् मांगे जाने सम्बंधी प्रकरण माननीय उच्च-न्यायालय के संज्ञान में हैं, एडमिट हो चुका है, अंतिम बहस हेतु लंबित है।

कोतवाली पुलिस के हाथ आये चार सक्रिय चोर और एक खरीदार

- पांच आरोपित में दो बाल अपचारी, चोरी के मामलों में लंबे समय से थे शहर में सक्रिय
- 10 चोरियों में शामिल रहना कबूले, आरोपियों से 50 हजार से अधिक की सम्पत्ति बरामद

रायगढ़। शहर में मोटरसायकल चोरी एवं हाल ही में नकबजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा शहर में हो रही चोरियों एवं विशेषकर मोटरसाइकिल की चोरियों पर अंकुश लगाने अवैध कबाड़ खरीदी करने वाले कबाड़ संचालक तथा पूर्व में चोरियों में शामिल रहे आरोपियों पर निगाह रखकर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। एडिशनल एसपी लखन पटेल एवं सीएसपी योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा अपने स्टाफ को लंबित चोरियों में माल मुलजिम की लगातार पतासाजी एवं मुखबिरों से जानकारी लेने निर्देशित किया गया है। लंबित चोरी मामलों की जांच पतासाजी में कोतवाली पुलिस की टीम के हाथ दो सक्रिय चोर अजय शर्मा उर्फ गोल्डी रामभांठा एवं विजय यादव निवासी मिट्टूमुडा आये जो संत माइकल स्कूल से छड़ की चोरी करना कबूल किए। आरोपियों से पूछताछ करने पर अपने दो और साथी (अपचारी बालक) के साथ मिलकर शहर में काफी से चोरी करना तथा चोरी के सामान को कबाड़ दुकान संचालक विक्की कुमार निषाद पिता श्यामलाल निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी इंदिरानगर के पास बेचना बताएं। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर की टीम द्वारा कबाड़ संचालक के यहां दबिश देकर विक्की को हिरासत में लिया गया। विक्की चोरी का सामान खरीदी करने से साफ इंकार किया जिसके समक्ष आरोपी अजय शर्मा, विजय यादव एवं दो अपचारी बालकों को पेश कर आरोपियों से पूछताछ करने पर पुन: बताये कि शहर में पिछले कई महीनों से छोटे बड़ी चोरियां साथ किये हैं और कई बार चोरी के माल विक्की को बेचे है जिसका नकद रकम प्राप्त किये जिसके बाद विक्की निषाद चोरी का सामान खरीदना कबूल किया।

आरोपी (1) अजय शर्मा उर्फ गोल्डी पिता रविंद्र शर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी रामभांठा थाना कोतवाली रायगढ़ (2) विजय यादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी मिट्टूमुड़ा चौक जूटमिल (3) कबाड़ दुकान संचालक विक्की कुमार निषाद श्याम लाल निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी इंदिरानगर थाना कोतवाली एवं 2 विधि के साथ संघर्षरत बाल अपचारियों को हिरासत में लेकर उनसे विभिन्न अपराधों में चोरी गए मशरूका (सामानों) की जब्ती की गई है। आरोपी विजय यादव से एक लोहे का कम्पेरेटर मशीन कीमती ₹20,000। आरोपी अजय शर्मा से एसी गैस पाइप तांबा 4 किलो, लोहे का रॉड व पाइप, , नकदी रकम ₹500 की जब्ती तथा आरोपियों द्वारा कबाड़ संचालक विक्की के पास बेचा गया वाइब्रेटर मशीन, लोहे का पाइप, नकदी रकम ₹500 की कबाड़ संचालक से जब्ती की गई है। वहीं दोनों अपचारी बालकों से चोरी गए बिजली का तार, गैस सिलेंडर की जब्ती की गई है। आरोपियों के कबूलनामे के बाद वर्ष 2022 में दर्ज अपराध क्रमांक 196, 608, 642, 557, 244, 548, 639, 236, 543 तथा 577/2022 का खुलासा हुआ जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजना भेजा गया है।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के साथ आरोपियों की धरपकड़ एवं चोरी गए सामानों की बरामदगी में सहायक उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक के.बी. गुप्ता, प्रधान आरक्षक दिग्विजय वैष्णव, श्रीराम साहू, राकेश शर्मा, संजय शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर के साथ आरक्षक उत्तम सारथी, मनोज पटनायक, विनोद शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नजूल पट्टा व अभ्यांतर पट्टाधारियों को नवीनीकरण प्रदाय के लिए 20 अप्रैल को मेगा कैम्प

रायगढ़। नजूल पट्टा व अभ्यांतर पट्टाधारियों को नवीनीकरण व भूमि स्वामी हक प्रदाय करने के संबंध में 20 अप्रैल 2022 दिन-बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे से ऑडिटोरियम पजरी प्लाट, रायगढ़ में एक दिवसीय शिविर/मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नजूल पट्टों के भूमि स्वामी हक के साथ ही साथ जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी हो तो राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत उक्त पट्टों का नवीनीकरण किया जाना है। जिसमें पट्टाधारी/हितग्राही शिविर में ही पट्टे की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस मेगा शिविर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत प्राप्त पट्टों का भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु भी पट्टाधारी आवेदन दे सकते हैं। उक्त शिविर में हितग्राहियों को लोन प्रदाय करने में सहयोग हेतु बैंक के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जनसामान्य उक्त शिविर /मेगा कैम्प में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

केडार पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

- नजदीकी रिस्ते का फायदा उठाकर नाबालिग को भगा ले गया थाआरोपी
- महासमुंद के सराईपाली से बालिका को पुलिस की दस्तयाब

रायगढ़। केडार पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महासमुंद जिले के सराईपाली से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, आरोपी का 14 दिवस न्यायिक रिमांड स्वीकृत होने पर आरोपी को केडार पुलिस सारंगढ़ जेल में दाखिल किया गया है।

दिनांक 14.04.2022 के सुबह थाना केडार में थानाक्षेत्र का रहवासी आकर बताया कि रिस्तेदार अनिल दास वैष्णव ग्राम मेडाहापाली थाना सराईपाली जो इसके यहां आकर रह रहा था जिसके तीन बच्चे है। रिपोर्टकर्ता बताया कि लगभग 09 माह पहले अनिल वैष्णव इसकी छोटी लड़की को अपने साथ ले गया था, रिस्तेदार होने से लाकर छोड़ देगा सोचें किन्तु नहीं लाया , कुछ दिनों पहले लड़की मोबाइल पर कॉल कर बताई अनिल वैष्णव प्रेमजाल में फंसाकर घर न ले जाकर कहीं और ले गया था। तब अनिल को बोले कि लड़की को घर लेकर आओं तब अनिल वैष्णव "तुम लोगो को जो करना है करलो " मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर रखुंगा कहने लगा। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 363, 366, 376 IPC 4,6 Pocso Act का अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी केडार उप निरीक्षक झामलाल मार्को द्वारा अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी का लोकेशन पता किया गया एवं अपनी टीम के साथ सराईपाली जाकर आरोपी एवं बालिका को लाया गया। बालिका के कथन मुलाहिजा पश्चात आरोपी अनिल दास वैष्णव पिता गोकुल दास वैष्णव उम्र 30 वर्ष निवासी मेढापाली थाना सरईपाली जिला महासमुंद को पोक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।

अंग्रेजी माध्यम शाला की कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट संख्या में हुई वृद्धि

- प्रत्येक कक्षाओं में प्रवेश हेतु 40 सीट की जगह अब 50 सीट की मिली अनुमति

रायगढ़। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ एवं समस्त प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला छत्तीसगढ़ को पत्र जारी कर सेजस की प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि की गई है। डीपीआई द्वारा पत्र में निर्देशित किया गया है कि राज्य में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शालाओं में कक्षा पहली से 12 वीं हेतु पूर्व निर्धारित 40-40 सीट के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में प्रवेश लेने हेतु आवेदक विद्यार्थियों एवं पालकों की प्रदेश व्यापी मांग को देखते हुए तथा कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में शिक्षा सत्र 2022-23 में प्रत्येक कक्षा में 40 के स्थान पर 50 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में मनाया गया डॉ.भीमराव अम्बेडकर जयंती

रायगढ़। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ में भारत रत्न डॉ.भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनायी गयी। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.ए.के. सिंह ने बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष सुनील कुमार गौतम ने बताया की बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए एक प्रेरणाश्रोत है। उन्होंने बताया कि बाबासाहेब अपने आप में ही एक विचारधारा हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तुलना किसी और से नही की जा सकती। उन्होंने छात्र-छात्राओं से इस बात पर अमल करने को कहा की जयंती मनाने के साथ-साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में शामिल करें तथा उनके पदचिह्नों पर चलें।

सहायक प्राध्यापक गंगा राम राठिया ने बताया की भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभायी और वो हमेशा शोषितों के लिए लड़ते रहें और जातिवाद को चुनौती देते रहें। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा की डॉ.भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व के बारे में सभी को ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। डॉ.ए.के. सिंह ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों के बारे में विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी। डॉ.सिंह ने बताया की हम सभी को बाबासाहेब के जीवन दर्शन को जानना एवं युवा पीढ़ी उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने बताया की बाबा साहेब न केवल दलित समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया अपितु उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। इस अवसर पर बी.एस.सी. तृतीय वर्ष के छात्र अवधेश ने काव्य पाठ किया एवं उनके सहपाठी पूनम राठौर, आशीष ने भी बाबासाहेब के जीवन से प्रेरित अपने विचार रखें। इस अवसर पर महाविद्यालय की ए.जी. वर्ग.3 निराली पैकरा, अतिथि शिक्षक के रूप में सौरभ कुमार सिन्हा, शिवाँगिनी और विद्यार्थीगण उपस्थित रहें। मंच संचालन सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष सुनील कुमार गौतम ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन बी.एस.सी. तृतीय वर्ष की छात्रा मिस नंदिनी अग्रवाल द्वारा किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480